

प्रेषक,

घनश्याम मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2017

विषय: समानान्तर ऊपरी गंगा नहर के किमी0 177.500 से 232.660 के मध्य क्षतिग्रस्त लाइनिंग गेटों एवं क्रास रेगुलेटर की पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (बजट), कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-5065/आई0बी0/अनु0-94, दिनांक 08-02-2017 एवं पत्र संख्या-जी-1765/आई0बी0/अनु0-94, दिनांक 22-02-2017 तथा शासनादेश संख्या-362/2016/3181/16-27-सिं0-4-07(डब्ल्यू)परि0/16, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-293/17-27-सिं0-4-07(डब्ल्यू)परि0/16, दिनांक 08 मार्च, 2017 द्वारा अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-04-051-12-1206-24 में रू0 135.60 लाख की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजित कर व्यवस्थित की गई है। तदनुसार व्यवस्थित धनराशि रू0 1,35,60,000 (रूपया एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार मात्र) समानान्तर ऊपरी गंगा नहर के किमी0 177.500 से 232.660 के मध्य क्षतिग्रस्त लाइनिंग गेटों एवं क्रास रेगुलेटर की पुनर्स्थापना की परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल एतद्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- 2- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

- 3- प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जाएगी।
 - 4- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - 5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
 - 6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
 - 7- उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाए।
 - 8- विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
 - 9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - 10- सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 11- परियोजना पर होने वाले व्यय का विवरण बी0एम0प्रपत्र-8 पर शासन के सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4/9 एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा।
 - 12- कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 2- परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)-051-निर्माण-10-नहरें-1014-सम्बद्ध कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(घनश्याम मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-74/2017/388(1)/17-27-सिं0 एवं ज0सं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- 8- नियोजन अनुभाग-3
- 9- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।